



# राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

स्मरण पत्र-प्रथम

क्रमांक: CBCS / शैक्ष.-प्रथम / 2025 /

दिनांक :

समस्त संयोजक,  
अध्ययन मण्डल / पाठ्यक्रम समिति / तदर्थ पाठ्यक्रम समिति  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर वार्षिक पद्धति के स्थान पर सेमेस्टर पद्धति (CBCS) लागू कर पाठ्यक्रम अतिशीघ्र कार्यालय को उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- पत्र क्रमांक CBCS / शैक्ष.-प्रथम / 2025 / 1191-1250 दिनांक 24 / 06 / 2025 के क्रम में।

महोदय / महोदया

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सभी संकायों के अध्ययन मण्डल / पाठ्यक्रम समिति / तदर्थ पाठ्यक्रम समिति की अतिशीघ्र बैठकें आयोजित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर के लिए वार्षिक पद्धति के स्थान पर सेमेस्टर पद्धति लागू करने हेतु CBCS समिति की बैठक दिनांक 16.06.2025 के द्वारा निम्न अनुशंषाएं की गई हैं :-

1. स्नातकोत्तर विभाग में CBCS स्कीम 10 point की scale होगी।
2. स्नातकोत्तर विभाग में CA के अंक EOSE के साथ रिजल्ट में जोड़े जायेंगे।
3. Pass Percentage CA : EOSE परीक्षा में 40% होगी।
4. CA : EOSE का अनुपात 20 : 80 होगा।
5. समस्त वार्षिक पद्धति के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर विभाग में लागू पाठ्यक्रम के अनुसार किये जायेंगे। यदि किसी अध्ययन मण्डल / पाठ्यक्रम समिति / तदर्थ पाठ्यक्रम समिति को पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन करना है तो 30 जून तक अध्ययन मण्डल / पाठ्यक्रम समिति / तदर्थ पाठ्यक्रम समिति से अनुमोदित करवाकर प्रस्तुत किया जा सकता है।

अतः आपसे पुनः निर्देशानुसार निवेदन कर लेख है कि पाठ्यक्रम में अगर कोई परिवर्तन करना है तो दिनांक 20.07.2025 तक अध्ययन मण्डल / पाठ्यक्रम समिति / तदर्थ पाठ्यक्रम समिति से अनुमोदित करवाकर प्रस्तुत करें।

भवदीय,

— J D —

सहायक कुलसचिव  
(शैक्षणिक-प्रथम)

दिनांक : 10/7/25

क्रमांक: CBCS / शैक्ष.-प्रथम / 2025 / 1616 - 1620

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रो. एस. के. गुप्ता, संयोजक, NEP-2020, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. प्रो. जी.पी.सिंह, निदेशक, शैक्षणिक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
3. निजी सचिव, कुलगुरु, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

10/7/25  
अनुभागाधिकारी  
(शैक्षणिक-प्रथम)